रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1972/माघ 25, 1893

No 96] NEW DELHI, MONDAY FEBRUARY 14, 1972 MAGHA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1972

S.O. 138.—In pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendment in its notification No. 56/72-I, dated the 1st February, 1972 published in an extraordinary issue of the Gazette of India Part II, Section 3(ii), dated the 2nd February, 1972, namely:—

In Table :—against the entry "11. Manipur" for the entries "(6) Camel and (7) Pot" the entries "(6) Camel, (7) Pot, (8) Elephant and (9) Flower" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 11th February, 1972

[No. 56/72-IV.]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972

का० आ० 138(अ).—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2 खंड 3 (ii), तारीख 2 फरवरी, 1972 में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं० 56/72–1, तारीख 1 फरवरी, 1972 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

सारणी 3 में,—

"(11) मणिपुर" प्रविष्टि के सामने, "(6) ऊंट तथा (7) कलश" प्रविष्टियों के स्थान पर, "(6) ऊंट, (7) कलश, (8) हाथी तथा (9) फूल" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी और ऐसे प्रविष्टियां 11 फरवरी, 1972 से प्रतिस्थापित की गई मानी जायेंगी ।

[सं० 56/72–IV]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972